रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2007 / चैत्र 5, 1929

No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2007/CHAITRA 5, 1929

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

सा.का.नि. 240(अ).—केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 758(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन —अध्यक्ष
2. माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल —सदस्य
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश गंभीर —सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2007 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पी आई टी एन डी पी एस]

के. एस. शर्मा, ठा सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.का.नि. 758(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में 18 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2007

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. GSR 758(E) dated 18th December, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

1. Hon'ble Mr. Justice Manmohan Sarin —Chairman
2. Hon'ble Ms. Justice Gita Mittal —Member
3. Hon'ble Mr. Justice Kailash Gambhir —Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2007.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note : The Notification G.S.R. 758 (E) dated 18th December, 2006 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 18th December, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.